

**FORM 8-B\***

**Appointment of Polling Agents**

[See Rule 27]

Election to the.....Delhi Municipal Corporation from Ward (No. & Name) .....

I, ..... a candidate at the above election,  
do hereby appoint.....

of.....as a polling agent to attend Polling Station

No. .... at .....

Place.....

Date.....

Signature of Candidate.

---

I agree to act as such polling agent.

Place.....

Date.....

Signature of Polling Agent.

Declaration by polling agent to be signed before Presiding Officer.

I hereby declare that at the above election I will not do anything forbidden by Section 23 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended by Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 which  
\*\*I have read/has been read over to me.

Date.....

Signature of Polling Agent

Signed before me.

Presiding Officer

Date.....

---

\*To be handed over to the Polling Agent for production at the Polling Station.

\*\*Strike off the inappropriate alternative.

Section 23 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (As amended) :—

23. Maintenance of secrecy of Voting :—

- (1) Every officer or clerk, agent or other person who performs any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain and aid in maintaining the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorized by or under any law) communicate to any information calculated to violate such secrecy.
- (2) Any person who contravenes the provision of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

फार्म 8 - ख  
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति  
[नियम 27 (1) देखिए]

वार्ड संख्या एवं नाम ..... से दिल्ली नगर निगम का निर्वाचन  
में ..... उपर्युक्त चुनाव का  
एक उम्मीदवार एतद्वारा ..... का ..... को  
मतदान एजेन्ट के रूप में मतदान केन्द्र संख्या ..... जो ..... पर  
स्थित है, नियुक्त करता हूँ ।

स्थान ..... उम्मीदवार के हस्ताक्षर  
दिनांक .....

मैं मतदान एजेन्ट के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ ।

स्थान ..... मतदान एजेन्ट के हस्ताक्षर  
दिनांक .....

मतदान एजेन्ट द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी के सामने किया जाए ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त चुनाव में मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957\*\* की धारा 23 द्वारा निषिद्ध हो और जिसे मैंने पढ़ लिया है । जिसे मुझे पढ़कर सुना दिया गया है ।

दिनांक ..... मतदान एजेन्ट के हस्ताक्षर

मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया

दिनांक ..... पीठासीन अधिकारी

\* मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत करने के लिए मतदान एजेन्ट को दिया जाए ।

\*\* अनुचित विकल्प को काट दें ।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 23 :-

23 - मतदान गोपनीयता बनाए रखना :-

- (1) ऐसा प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, एजेन्ट या अन्य व्यक्ति जो चुनाव में मतदान को दर्ज करने या गिनती करने की इयूटी कर रहा हो, गोपनीयता बनाए रखेगा और इसमें सहायता देगा और (किसी विधि द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत किए जाने के अलावा) गोपनीयता बनाए रखने के लिए परिचालित किसी जानकारी को सम्प्रेषित नहीं करेगा ।
- (2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दण्ड का भागीदार होगा जिसकी अवधि तीन महीने या अर्थदण्ड या दोनों हो सकती है ।”